

प्रेषक,

एन0एस0नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, खेलकूद एवं पर्यटन अनुभाग-2

देहरादून दिनांक :/6 दिसम्बर, 2011

विषय:-प्रदेश में आयोजित होने वाले विशेष प्रशिक्षण शिविरों एवं प्रतियोगिताओं से सम्बन्धित मानकों में संशोधन किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-मैमो/वि0यो0पत्रा0/2008-09/दे0दून, दिनांक 24 नवम्बर, 2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में आयोजित होने वाले जिला/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं एवं विशेष प्रशिक्षण शिविरों से सम्बन्धित वर्तमान मानकों में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

वर्तमान में निर्धारित मानक

जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं

1. भोजन भत्ता (प्रति खिलाड़ी/ऑफिशियल प्रति दिन) - 80.00
2. टीम के खिलाड़ियों/ऑफिशियल को आने-जाने का किराया- वास्तविकता के आधार पर
3. आवासीय सुविधा (प्रति खिलाड़ी/ऑफिशियल प्रति दिन)- 40.00
4. उपकरण पर व्यय- 1000.00
5. पुरस्कार पर व्यय- 5500.00
6. उद्घाटन एवं समापन पर व्यय - 3000.00
7. विविध व्यय - 1500.00
8. अनुसंगिक व्यय - -

(धनराशि रूपये में)

संशोधन हेतु प्रस्तावित मानक

जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं

1. भोजन भत्ता (प्रति खिलाड़ी/ऑफिशियल/निर्णायक प्रति दिन) 150.00
2. टीम के खिलाड़ियों/ऑफिशियल को आने-जाने का किराया- वास्तविकता के आधार पर (साधारण बस/स्लीपर श्रेणी रेल)
3. आवासीय सुविधा (प्रति खिलाड़ी/ऑफिशियल/निर्णायक प्रति दिन)- 100.00
4. उपकरण पर व्यय- 2000.00
5. पुरस्कार पर व्यय (खिलाड़ियों हेतु)- 10000.00
6. उद्घाटन एवं समापन पर व्यय - 5000.00
7. विविध व्यय - 3000.00
8. अनुसंगिक व्यय (प्रति खिलाड़ी/ऑफिशियल/निर्णायक)- 100.00
9. पुरस्कार (निर्णायकों हेतु) - 3000.00

(प्रतियोगिता की पूर्ण अवधि हेतु)

9. पुरस्कार (निर्णायकों हेतु) -

19/12/11
3/12/11
19/12/11

[Signature]

राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं

1. भोजन भत्ता (प्रतिखिलाड़ी/ऑफिशियल/निर्णायक प्रति दिन) - 80.00
2. टीम के खिलाड़ियों/ऑफिशियल को आने-जाने का किराया- वास्तविकता के आधार पर (साधारण बस/स्लीपर श्रेणी रेल)
3. आवासीय सुविधा (प्रति खिलाड़ी/ऑफिशियल पूर्ण अवधि हेतु)- 60.00
4. उपकरण पर व्यय - 2000.00
5. पुरस्कार पर व्यय-
 - (क) प्रथम पुरस्कार (प्रति खिलाड़ी) - 300.00
 - (ख) द्वितीय पुरस्कार (प्रति खिलाड़ी)- 250.00
 - (ग) तृतीय पुरस्कार (प्रति खिलाड़ी) - 200.00
6. उद्घाटन एवं समापन पर व्यय - 3000.00 (शामियाना/कुर्सी/सौफा आदि)
7. विविध व्यय - 6000.00 (फोटोग्राफी/माईक/जलपान तथा अन्य व्यय)
8. अनुसांगिक व्यय (प्रतियोगिता की पूर्ण अवधि हेतु)- 50.00
9. निर्णायकों हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार (प्रति निर्णायक) 200.00
10. निर्णायकों को आने-जाने का किराया - वास्तविकता के आधार पर (साधारण बस/स्लीपर श्रेणी रेल)
11. निर्णायकों को ऑफिसियेटिंग चार्ज - शून्य

जिला स्तरीय विशेष प्रशिक्षण शिविर

1. भोजन भत्ता (प्रति खिलाड़ी/प्रशिक्षक प्रति दिन) - 80.00
2. टीम के खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों को आने-जाने का किराया - वास्तविकता के आधार पर (साधारण बस/स्लीपर श्रेणी रेल)
3. आवासीय सुविधा (प्रति खिलाड़ी/प्रशिक्षक प्रति दिन)- 40.00
4. उपकरण पर व्यय - 1500.00
5. खेल किट पर व्यय (प्रति खिलाड़ी/प्रशिक्षक)- 150.00 (खेल के अनुरूप)
6. उद्घाटन एवं समापन पर व्यय - 1000.00

राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं

1. भोजन भत्ता (प्रति खिलाड़ी/ऑफिशियल/निर्णायक प्रति दिन) 150.00 (200 कि०मी० (पर्वतीय क्षेत्र) तक की दूरी से आने वाली टीमों को प्रतियोगिता से एक दिन पूर्व व एक दिन बाद का तथा 200 कि०मी० (पर्वतीय क्षेत्र) से ऊपर की दूरी से आने वाली टीमों को यात्रा अवधि का वास्तविकता के आधार पर भोजन भत्ता देय होगा।)
2. टीम के खिलाड़ियों/ऑफिशियल को आने-जाने का किराया - वास्तविकता के आधार पर (साधारण बस/स्लीपर श्रेणी रेल)
3. आवासीय सुविधा (प्रति खिलाड़ी/ऑफिशियल प्रति दिन)- 100.00
4. उपकरण पर व्यय - 3000.00
5. पुरस्कार पर व्यय-
 - (क) प्रथम पुरस्कार(प्रति खिलाड़ी) टीम/एकल खेल- 500.00
 - (ख) द्वितीय पुरस्कार(प्रति खिलाड़ी) टीम/एकल खेल-400.00
 - (ग) तृतीय पुरस्कार (प्रति खिलाड़ी) एकल खेल- 300.00
6. उद्घाटन एवं समापन पर व्यय - 5000.00 (शामियाना/कुर्सी/सौफा आदि)
7. विविध व्यय - 7000.00 (फोटोग्राफी/माईक/जलपान तथा अन्य व्यय)
8. अनुसांगिक व्यय (प्रतियोगिता की पूर्ण अवधि हेतु) 100.00
9. निर्णायकों हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार (प्रति निर्णायक) 500.00
10. निर्णायकों को आने-जाने का किराया - वास्तविकता के आधार पर (साधारण बस/स्लीपर श्रेणी रेल)
11. निर्णायकों को ऑफिसियेटिंग चार्ज (प्रति निर्णायक /प्रतिदिन) 200

जिला स्तरीय विशेष प्रशिक्षण शिविर

1. भोजन भत्ता (प्रति खिलाड़ी/प्रशिक्षक प्रति दिन) - 150.00 (200 कि०मी० (पर्वतीय क्षेत्र) तक की दूरी से आने वाली टीमों को प्रतियोगिता से एक दिन पूर्व व एक दिन बाद का तथा 200 कि०मी० (पर्वतीय क्षेत्र) से ऊपर की दूरी से आने वाली टीमों को यात्रा अवधि का वास्तविकता के आधार पर भोजन भत्ता देय होगा।)
2. टीम के खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों को आने-जाने का किराया- वास्तविकता के आधार पर (साधारण बस/स्लीपर श्रेणी रेल)
3. आवासीय सुविधा (प्रति खिलाड़ी/प्रशिक्षक प्रति दिन)- 100.00
4. उपकरण पर व्यय - 2000.00
5. खेल किट पर व्यय (प्रति खिलाड़ी/प्रशिक्षक)- 1000.00 (ट्रेक सूट, वार्मअप शूज, मौजा एवं खेल के अनुरूप प्लेइंग किट)
6. उद्घाटन एवं समापन पर व्यय - 1500.00

7. अनुसांगिक व्यय - (प्रतियोगिता की पूर्ण अवधि हेतु)	शून्य	7 अनुसांगिक व्यय (प्रति खिलाड़ी/ऑफिशियल/ निर्णायक)- (प्रतियोगिता की पूर्ण अवधि हेतु)	100.00
8. विविध व्यय -	750.00	8 विविध व्यय -	1000.00
9. प्रशिक्षण शिविर के संचालन हेतु नियुक्त प्रशिक्षक से इतर प्रशिक्षक का मानदेय -	शून्य	9. प्रशिक्षण शिविर के संचालन हेतु नियुक्त प्रशिक्षक से इतर प्रशिक्षक का मानदेय-	3000.00
10. प्रशिक्षण शिविर हेतु अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या	25	10. प्रशिक्षण शिविर हेतु अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या	- 25
11. प्रशिक्षण संचालन हेतु प्रशिक्षक की संख्या -	01	11. प्रशिक्षण संचालन हेतु प्रशिक्षक की संख्या -	01

राज्य स्तरीय विशेष प्रशिक्षण शिविर

1. भोजन भत्ता (प्रति खिलाड़ी/प्रशिक्षक प्रति दिन) -	80.00
2. टीम के खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों को आने-जाने का किराया - वास्तविकता के आधार पर (साधारण बस/स्लीपर श्रेणी रेल)	
3. आवासीय सुविधा (प्रति खिलाड़ी/प्रशिक्षक प्रति दिन)-	40.00
4. उपकरण पर व्यय -	1500.00
5. खेल किट पर व्यय (प्रति खिलाड़ी/प्रशिक्षक)- (खेल के अनुरूप)	150.00
6. उद्घाटन एवं समापन पर व्यय-	1000.00
7. अनुसांगिक व्यय(प्रतियोगिता की पूर्ण अवधि हेतु)-	शून्य
8. विविध व्यय -	750.00
9. प्रशिक्षण शिविर के संचालन हेतु नियुक्त प्रशिक्षक से इतर प्रशिक्षक का मानदेय -	शून्य
10. प्रशिक्षण शिविर हेतु अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या	25
11. प्रशिक्षण संचालन हेतु प्रशिक्षक की संख्या -	01


राज्य स्तरीय विशेष प्रशिक्षण शिविर

1. भोजन भत्ता (प्रति खिलाड़ी/प्रशिक्षक प्रति दिन)	150.00
2. टीम के खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों को आने-जाने का किराया वास्तविकता के आधार पर (साधारण बस/स्लीपर श्रेणी रेल)	
3. आवासीय सुविधा (प्रति खि0/प्रशिक्षक प्रति दिन)-	100.00
4. उपकरण पर व्यय -	2000.00
5. खेल किट पर व्यय (प्रति खिलाड़ी/प्रशिक्षक)- (ट्रेक सूट, वार्मअप शूज, मौजा एवं खेल के अनुरूप प्लेइंग किट)	1000.00
6. उद्घाटन एवं समापन पर व्यय -	1500.00
7. अनुसांगिक व्यय (प्रति खिलाड़ी/ऑफिशियल/ निर्णायक)-	100.00
8. विविध व्यय -	1000.00
9. प्रशिक्षण शिविर के संचालन हेतु नियुक्त प्रशिक्षक से इतर प्रशिक्षक का मानदेय-	3000.00
10. प्रशिक्षण शिविर हेतु अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या -	25
11. प्रशिक्षण संचालन हेतु प्रशिक्षक की संख्या -	02

2. कृपया तदनुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-326 (पी)/XXVII(3)/2011-12, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय


 (एन०एस०नेगी)
 सचिव 16/12/11